मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी,2000 (माघ 28,1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री भूपेश बघेल, राज्यमंत्री परिवहन, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–1–99–आठ, दिनांक 23 अगस्त, 1999, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री प्रभाकर सिंह, सईद अहमद, महेश तिवारी, सदस्य, राज्य परिवहन निगम की सतना बस डिपो के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री परिवहन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामलाल यादव "भल्लू", सदस्य, इन्दौर कृषि उपज मंडी में व्यापारियों से मण्डी शुल्क वसूल न करने के संबंध में कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण का वक्तव्य

श्री डोमन सिंह नगपुरे, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिनांक 9 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 1287) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 2 सन् 2000) पर विचार किया जाय. — 1 घन्टा

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड विधेयक, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2000) पर विचार किया जाय. — 30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. संकल्प

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

1 घन्टा — "भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में, यह सभा संकल्प करती है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 (1999 का सं. 15) को मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाए."

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

1 घन्टा — "इस सदन का यह मत है कि पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु संविधान में आवश्यक प्रावधान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय."

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 16 फरवरी, 2000